न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः रतनलाल योगी, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0–– 84/2013
प्रविष्टि दिनांक ––27.08.2013

उनवानी

1. सईद पुत्र जहूर खान जाति मेवाती मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला, तहसील व जिला टोंक
2. आरिफ पुत्र जहूर खान जाति मेवाती मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला, तहसील व जिला टोंक
3. आबिद पुत्र जहूर खान जाति मेवाती मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला, तहसील व जिला टोंक
4. आसिफा पुत्री जहूर खान जाति मेवाती मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला, तहसील व जिला टोंक
5. जेबुन्निसा पत्नि जहूर खान जाति मेवाती मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला, तहसील व जिला टोंक
6. बिसमिल्ला पत्नि शकूर खान जाति मेवाती मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला, तहसील व जिला टोंक
7. महरूना पुत्री शकूर खान जाति मेवाती मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला, तहसील व जिला टोंक
8. नब्बो पत्नि गफूरा जाति मेवाती मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला, तहसील व जिला टोंक

– वादी

बनाम

1. नन्नू खां पुत्र मामला खां जाति मेवाती मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला, तहसील व जिला टोंक
2. नफीस पुत्र नन्नू खां जाति मेवाती मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला, तहसील व जिला टोंक
3. मेम पत्नि नफीस जाति मेवाती मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला, तहसील व जिला टोंक
4. नाजमा पुत्री जहुर खा जाति मेवाती मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला, तहसील व जिला टोंक
5. आरिफा पुत्री जहुर खां जाति मेवाती मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला, तहसील व जिला टोंक

– प्रतिपक्षीगण

उपस्थित– श्री संजय चौधरी अधिवक्ता वादीगण
श्री जुबेद अहमद बसरी अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक :– 24/01/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम बाडाजेरे किला तहसील व जिला टोंक में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 का 1/4 हक व हिस्से के व अप्रार्थीगण संख्या 6 का 1/4 , अप्रार्थीगण संख्या 7 का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 8 का भी 1/4 हक व हिस्सा है व काबिज है। उक्त वर्णित आराजियात में से करीब 3 बिस्वा भूमि रा.रा.मार्ग संख्या–12 में अवाप्त हो चुकी है। प्रार्थीगण वादीगण व अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 अपनी उक्त आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा जिसमें से करीबन 3 बिस्प भूमि अवाप्त होने के पश्चात बची हुई शेष भूमि में शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 का उक्त आराजियात से कतई कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई लेना देना है, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 झगडालु, शरारती किस्म के लठैत लोग है जो आयेदिन वादीगण व अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 की आराजियात में मजाहमत मदाखल करते है जबरन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने पुलिस से भी साज कर रखी

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 मौके पर आकर लइार्ड झगड़ा करते है, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना सदर टोंक में दी जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती है, जिस से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के हौसलें बुलन्द है। अप्रार्थीगण 1 ता 3 उक्त जमीन पर कब्जा करना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त कृत्य में सफल हो गये और भूमि पर जबरन लठ के जोर पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण वादीगण अपने जायज हकों से कहरूम हो जावगें तथा वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी किसी भी रूप में पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के विरूद्ध स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 130 वाके बाडाजेरेकिला तहसील व जिला टोंक में वादीगण के कब्जे काश्त में बेजा मजाहमत मदाखलत न तो स्वंय करें ना ही जरिये ऐजेन्ट नोकर, रिश्तेदार आदि के करावें ना ही जबरन वादीगण को बैदखल करें तथा ता फैसला वाद पाबन्द रहें।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजात फोटोकापी इकरारनामा बेचान दिनांक 26.05.1982, जमाबन्दी ग्राम बाडाजेरकिला खाता संख्या–192 प्रस्तुत किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गयी। प्रतिपक्षी संख्या–4 व 5 ने भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के लिये निवेदन किया।

प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें अंकितानुसार प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 में केवल मात्र वादपत्र पेश होना स्वीकार है। शेष गलत है अस्वीकार है। प्रथम दृष्टिया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रतिपक्षीगण के पक्ष में सिद्ध है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 जिस प्रकार लिखा है, एवं खसरा नम्बर 130 एवं वाके ग्राम बाडाजेरेकिला तहसील टोंक में स्थित होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 सरासर गलत एंव प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान व जेरबार करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर असरा 30–35 साल से उपर से कभी भी काबिले काश्त नहीं रहा है। ना प्रार्थीगण न इनके पूर्वजों ने उक्त आराजी पर कभी कायत की मौके पर 30–35 साल से अप्रार्थीगण 1 ता 3 का खाम मकान बना हुआ है, जो आज भी मौजूद है, जिसमें अप्रार्थीगण मय परिवार निवास करते है। अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 स्वर्गीय शकूर खा पुत्र नवाज खां के पोत्र पुत्रियां बहु एंव बेटियां है। स्वर्गीय शकूर ख ने अपने जीवनकाल में दिनांक 26.05.1982 को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम बाडाजेरेकिला तहसील ओंक में एक मकान बना रखा था जिसकी लम्बाई पूर्व से पश्चिम 60 फीट, उत्तर से दक्षिण 120 फीट थी। उक्त मकान को स्वर्गीय शकूर खां ने अप्रार्थीगण 1 नन्नू खा की स्वर्गीय पथ्तन मोहम्मदी को मुबलिग रूपये 200/– में बेचान किया था ओर कब्जा मालिकाना सम्भला दिया था। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

बेचान उपरांत से ही उक्त मकान पर स्व. माहम्मदी अपने ज़ीवनकाल तक निवास करती रही एंव उसकी मृत्युउपरांत बेहेसियत वारिस अप्रार्थीगण 1 ता 3 बैहेसियत स्वमी, काबिज व मुतासर्रिफ है। मौके पर कोई काश्त नहीं है, न पूर्व में कोई काश्त थी। ऐसी स्थिति में प्रार्थना में अंकित तथ्य मिथ्या है। उक्त बेचान के प्रति स्व. शकूर पुत्र नवाज खा की मृत्युपरांत उसके स्व. पुत्र जहूर खां व गफूरा ने कभी कोई आपत्ति नहीं की। जमीन की कीमत बढ जाने से यह झूठा दावा बदनियती से पेश किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त फरमाया जावे। झूठा प्रार्थना पत्र पेश करने के स्वरूप विशेष हर्जा दिलाया जावे।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिए निम्न दस्तावेजात मृत्यु प्रमाण–पत्र मोहम्मदी, भूमि अवाप्ती सूचि, फोटोकापी मुआवजा राशि 170257/– का चैक, नोटिस भूमि अवाप्ति अधिकारी टोंक दिनांक 26.04.2011 प्रस्तुत किये।

हमने लायक वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि आवप्ति अधिकारी टोंक की मुआवजा/अवाप्ती सूची से यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 पर स्थित है तथा मौके पर कृषि कार्य में नहीं आ रही है और पक्षकारान के मकान आदि बने हुए है। वादग्रस्त भूमि में से राजमार्ग में अवाप्त भूमि का मुआवजा प्रतिपक्षीगण द्वारा लिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण जिस वादग्रस्त भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाना चाह रहे है वह जरिये इकरारनामा उनके पिता द्वारा विक्रय की जा चुकी है। इस इकरारनामें को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भी मान्यता दी जाकर मुआवजे का भुगतान किया है। इकरारनामें के संबंध में निर्णय प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद में विधिक परिक्षण के उपरांत किया जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रतनलाल योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

Scanned by CamScanner